कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला– होशंगाबाद (म.प्र.)

(फोन– 07574–253655, E-mail- dcourthos-mp@nic.in)

परिपत्र

क्रमांक **633** / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 12.06.2020

प्रति,

(1) समस्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण, जिला होशंगाबाद
(2) प्रस्तुतकार, जिला न्यायाधीश होशंगाबाद (म.प्र.)
(3) अध्यक्ष / सचिव, अभिभाषक संघ,
होशंगाबाद / इटारसी / पिपरिया / सोहागपुर / सिवनीमालवा,
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)
(4) लोक अभियोजक होशंगाबाद (म.प्र.)
(5) जिला अभियोजन अधिकारी होशंगाबाद, (म.प्र.)

––00––

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर के द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक ए / 1382 जबलपुर दिनांक 12.06.2020 के अनुसार कोविड–19 के संक्रमण को रोके जाने हेतु पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक क्यू–5 जबलपुर दिनांक 25.03. 2020, ए / 1214 जबलपुर दिनांक 05.06.2020 एवं इससे संबंधित अन्य परिपत्र एवं दिशानिर्देश की प्रभावशीलता दिनांक 19.06.2020 तक की अवधि के लिये बढ़ायी गयी है। दिनांक 15.06.2020 से 19.06.2020 तक की अवधि में मध्यप्रदेश राज्य के अधीनस्थ न्यायालयों में सामान्य कार्य दिवस न होकर केवल अत्यावश्यक ऐसे प्रकरण जो निराकरण की अंतिम अवस्था में है, जो अंतिम सुनवाई के लिए नियत हैं, आपराधिक पुनरीक्षण, सिविल अपील आदि जिनका निराकरण दोनों पक्षों के अधिवक्तागण के तर्क सुनने के आधार पर बिना मौखिक साक्ष्य अभिलिखित किये किया जा सकता हो की सुनवाई की जावेगी। यह सुनवाई केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जावेगी। कार्य की आवश्यकता को देखते हुए जिला स्थापना होशंगाबाद एवं तहसील न्यायालयों में अभिभाषक कक्ष (बार रुम) को कोविड–19 के अंतर्गत् शासन एवं मान. उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए मास्क, सैनेटाईजर का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग व अन्य आवश्यक सुरक्षा उपायों का पालन सुनिश्चित करते हुए खोले जावेंगे।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त परिपत्र के परिपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा परिपत्र क्रमांक 631 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 13.06.2020 जारी किया गया है, जिसमें पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक 569 / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 30.05.2020 की प्रभावशीलता को बढ़ाते हुए दिनांक 15.06.2020 तक केवल अत्यावश्यक न्यायालयीन कार्य हेतु निर्देश दिये गये हैं, उक्त तिथि के मध्य जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय/अपर जिला एवं सत्र न्यायालय / मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी / समस्त व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 एवं 2 के न्यायालयों में उपरोक्त प्रकरणों को छोड़कर शेष सुनवाई हेतु नियत सिविल एवं आपराधिक प्रकरणों में आगामी तिथियां निम्न सारणी अनुसार नियत की जाती हैं:–

पेशी दिनांक	आगामी पेशी दिनांक
15.06.2020	27.07.2020

16.06.2020	28.07.2020
17.06.2020	29.07.2020
18.06.2020	30.07.2020
19.06.2020	31.07.2020

समस्त अभिभाषकगण और पक्षकारगण को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 19.06.2020 तक केवल अत्यावश्यक कार्य होने पर ही न्यायालय परिसर एवं बार रूम में आयें एवं यथासम्भव अपने निवासीय कार्यालय से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई मे भाग लें तथा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में अपेक्षित सहयोग प्रदान करें।

(चन्द्रेश कुमार खरे)
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

पृष्ठा.क.– **634** / दो–1–8 / 19 होशंगाबाद दिनांक 13.06.2020

प्रतिलिपिः– सिस्टम ऑफीसर होशंगाबाद की ओर भेजकर निर्देश है कि समस्त संबंधितों को ई–मेल / व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित करें एवं परिपत्र की प्रति होशंगाबाद जिले की वेबसाईट पर अपलोड करें।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
होशंगाबाद (म.प्र.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH: JABALPUR

CIRCULAR

No. A/1382 **Jabalpur, dated 12 June, 2020**

Sub: Extension of operation of Circular No. Q-5 dated 25.03.2020, A/1214 dated 5th June, 2020 & other circulars and clarifications issued in this regard.

Ref: Circular No. A/1214 dated 5th June, 2020 issued by the High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur (copy enclosed)

Earlier in pursuance to the public declaration by Hon'ble The Prime Minister of India on 24th March 2020, the lock down started and from time to time, it was extended. In this regard, previously the Circular No. Q-5 dated 25.03.2020 was issued and only urgent work in subordinate courts was started thereafter through various orders, circulars, clarifications restricted functioning of the High Court and its Registry as well as of the Subordinate Courts was started from 4th May, 2020 and that is continuing till 13th June, 2020

To avoid any possibility of spreading Corona cases in or all surrounding areas of court campus/residence of Judicial Officers, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to direct as under:-

> The limited functioning of the High Court as well as Subordinate Courts as mandated by circular dated A/1214 dated 5th June, 2020 will continue from 15th June, 2020 till 19th June, 2020 except Subordinate Courts in district Indore, Bhopal & Ujjain where only urgent matters shall be heard.

By Order of Hon'ble the Chief Justice,

12/6/2020

(RAJENDRA KUMAR VANI)
REGISTRAR GENERAL